

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2011/टेली/11/(2)/2

नई दिल्ली, दिनांक: 18 .10.2011

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें, सभी उत्पादन इकाइयां, कोर/इलाहाबाद।

महानिदेशक/अ.अ.मा.सं. एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, आईजी/आरपीएसएफ,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफमो, डीसीडब्ल्यू, आईआरपीएमयू तथा छपरा एवं रायबरेली की नई इकाइयां।

निदेशक/इरिसेट, इरिसेन, इरीन, इरिमी, आईआरआईटीएम,

अध्यक्ष, सभी रेल भर्ती बोर्ड।


विषय: विदेश में प्रतिनियुक्ति के दौरान मोबाइल फोन सुविधा।

संदर्भ: (i) बोर्ड का दिनांक 15/28.10.2009 का समसंख्यक पत्र।

(ii) वित्त मंत्रालय का दिनांक 21.07.2010 का पत्र सं. 24(1)/ई.कोर्ड/2010.

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपने उपर्युक्त संदर्भाधीन पत्र के तहत विदेश में प्रतिनियुक्ति के दौरान मोबाइल सुविधा के इस्तेमाल के लिए निम्नलिखित मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं:-

- (i) यह विनिश्चय किया गया है कि संबंधित मिशन/दूतावास द्वारा डीएस/निदेशक और इससे ऊपर के स्तर के विजिट करने वाले प्रतिनिधि मंडलों को सिम कार्ड मुहैया करवाए जाएंगे।
 - (ii) जहां तक इसके उपयोग का संबंध है, सचिव और इससे ऊपर के स्तर के लिए आर्थिक सीमा ₹ 1,000/- प्रतिदिन की और अन्य अधिकारियों के लिए ₹ 500/- प्रतिदिन की होगी।
 - (iii) उपयोग की लागत संबंधित मंत्रालयों/विभाग से डेबिट की जाएगी।
2. इसे रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
 3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
 4. कृपया पावती दें।



(राकेश रंजन)

निदेशक/टेलीकॉम

फोन: 011-23388504, 030-44613

फैक्स: 011-23304690, 030-44690


ई मेल: dtele@rb.railnet.gov.in

सं. 2011/टेली/11/(2)/2

नई दिल्ली, दिनांक: 18 .10.2011

प्रतिलिपि :

- i. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
- ii. भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।



कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 2011/टेली/11/(2)/2

नई दिल्ली, दिनांक: .10.2011

प्रतिलिपि:

1. एफ(एक्स)II एवं बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. सीएसटीई, सभी भारतीय रेलों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।